डॉ० भीमराव आंबेडकरे विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/390/2025 दिनांक : 26/09/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः– स्वतंत्रता के अमृत काल में गांधी जयन्ती (दिनांक 02.10.2025) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या 712/न्याय सहायक–3 दिनांक 20.09.2025 द्वारा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 433/90–सं–2–2025 दिनांक 18.09.2025 संलग्न करते हुए प्रेषित किया गया है, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में गांधी जयन्ती (दिनांक 02.10.2025) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप दिनांक 02.10.2025 को महाविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित करें।

साथ ही, कार्यक्रम में की गई कार्यवाही की सूचना पत्र के साथ–साथ निर्धारित ई–मेल आई0डी0 sansadeeya2@gmail.com पर उपलब्ध कराना तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित तस्वीरें www.constitution.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अजय मिश्रा)
पी.सी.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त निदेशक, प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष, आवासीय इकाइयाँ।
4. प्रभारी–वेबसाइट, इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिकृत एजेंसी, इस आशय से कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन आईडी पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल।

(अजय मिश्रा)
पी.सी.एस.
कुलसचिव

Affidavit

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, AGRA.
कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या– 712 / न्याय सहायक–3 दिनांकः– 20 / 09 / 2025

विषयः– स्वतंत्रता के अमृत काल में गॉधी जयन्ती दिनांक 02 / 10 / 2025 को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

D.B.R.A.U.: R—0
आ. सं. R-798 दि. 24/9/2
जा. सं. 416 दि. 26/9/2

सेवा में,

1– मुख्य विकास अधिकारी आगरा।
2– उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा।
3– नगर आयुक्त नगर निगम आगरा।
4– पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा।
6– क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी आगरा।
7– जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा।
8– जिला बेसिक शिक्षाधिकारी आगरा।
9– क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी आगरा।
10– कुल सचिव डॉ0 बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा।
11– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद आगरा।

DSW | DR(A) | DR(RW)
समस्त विद्यालयों से पत्राचार

कुलसचिव

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संन्दर्भ में निवेदन है कि शासनादेश संख्या 433 / 90–सं0–2–2025 दिनांक 18 / 09 / 2025 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश में स्वतंत्रता के अमृत काल में गॉधी जयन्ती दिनांक 02 / 10 / 2025 के अवसर पर जनपद में **हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान** की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में शासनादेश में वर्णित कार्यकमों का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः अनुरोध है कि उक्त संन्दर्भित शासनादेश में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में अपने–अपने विभागीय स्तर पर वर्णित कार्यकमों का आयोजन कराने का कष्ट करें तथा आयोजित कार्यकमों का विवरण फोटोग्राफ सहित शासन को पत्र एवं शासनादेश में उल्लिखित ई–मेल आई0डी0 पर अपलोड कराने तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को भी भिजवाने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक यथोक्त।</u>

अपर जिलाधिकारी (प्रो0)
आगरा।

<u>प्रतिलिपिः–संख्या व दिनांक उक्तवत्</u>

1– जिलाधिकारी महोदय आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– उप निदेशक सूचना आगरा को उक्त संन्दर्भित शासनादेश की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अवसर पर शासनादेश में वर्णित कार्यकमों का जनपद में आयोजित कराये जाने हेतु शासनादेश में दिये गये निर्देशों के कम में प्रचार प्रसार नगर के दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (प्रो0)
आगरा।

"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"

अति महत्वपूर्ण

संख्या- 933 /90-सं-2-2025

प्रेषक,

दीपक कुमार

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त

उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2025

विषय:- स्वतंत्रता के अमृत काल में गांधी जयन्ती (दिनांक 02-10-2025) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्या-21035/3/2020-Spl.Cell दिनांक 20-11-2024 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-03 भा०स०/90-सं०-2-2024 दिनांक 22-11-2024 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में माह नवम्बर, 2024 में वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये दिशा निर्देशों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि वर्ष-पर्यन्त उत्सव के रूप में मनाये जाने वाले कार्यक्रमों के समन्वय हेतु संसदीय कार्य विभाग नोडल विभाग नामित है। तत्क्रम में आगामी गांधी जयन्ती (02-10-2025) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

(i) सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी गांधी जयन्ती (02-10-2025) के अवसर पर संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के तथ्य पर बल दिया जाय।

(ii) सम्पूर्ण प्रदेश में गांधी जयन्ती (02-10-2025) के अवसर पर प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में पूर्व निर्धारित परम्परागत कार्यक्रमों यथा-प्रार्थना सभा आदि के पश्चात "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैग लाईन वाले पोस्टर, बैनर एवं झंडे के साथ प्रभात फेरियों का आयोजन कराते हुए प्रभात फेरी समाप्ति स्थल (एस0सी0/एस0टी0 बाहुल्य क्षेत्र में अमृत सरोवर स्थलों पर महात्मा गांधी जी एवं बाबा साहेब डा0 बी0आर0 आंबेडकर जी की मूर्ति अथवा मूर्ति की अनुपलब्धता में उनका बड़ा चित्र लगाकर उस

पर माल्यार्पण अथवा पुष्पांजलि अर्पण के साथ) स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण के सम्बन्ध में मनीषियों एवं विधि वेत्ताओं की भूमिका पर वाद-विवाद, गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन कराया जाय। इस हेतु समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं स्वायत्तशासी कार्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अन्तर्गत उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों एवं अद्यतन संविधान संशोधनों पर व्याख्यानमाला आदि का आयोजन किया जाय।

(iii) सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय। संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह का आयोजन किया जाय।

(iv) प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) में प्रार्थना सभा आदि के उपरान्त संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य /राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में क्विज का आयोजन किया जाय। स्कूल/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुददे जिसमें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृहद एवं नवीन संशोधनों के आलोक में वाद-विवाद / सेमिनार एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय।

(v) यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी आयोजन खण्ड विकास अधिकारियों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किये जायेंगे तथा जिला स्तर पर इसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं में आयोजित होने वाले उक्त कार्यक्रमों में सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं उनके द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जायेंगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में गांधी जयन्ती (02 अक्टूबर,2025) के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को स्व-स्तर से यथावश्यक निर्देश निर्गत करते हुए तत्सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना संसदीय कार्य विभाग को पत्र एवं ईमेल आई0डी0-sansadeeya2@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुए कार्यक्रम से सम्बन्धित तस्वीरें www.constitution75.com पर अपलोड भी कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या- (1)/90-सं-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ।

2- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।

3- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।

4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

5- अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

6- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

7- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

8- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

9- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

10-प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।

11-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

12-प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

13-प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

14- प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

15- विशेष सचिव श्री गौरव कुमार, नोडल अधिकारी,संसदीय कार्य विभाग।

16- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

/

(जे०पी० सिंह-II)

प्रमुख सचिव।